

99/23

आवेदन संख्या : 202300950014201 आवेदन दिनांक : 21-04-2023
संव्यवस्था प्रकृति : बही संख्या -(4) लेखपत्र का प्रकार : न्यास पत्र

प्रस्तुतकर्ता का विवरण

नाम (हिन्दी में) : विजय सिंह नाम (अंग्रेजी में) : VIJAY SINGH
ई - मेल : मोबाइल : 9936730244

संपत्ति की सं० : 1

सम्पत्ति की स्थिति का विवरण

जनपद : गोरखपुर तहसील : गोरखपुर

सम्पत्ति का विवरण :

सम्पत्ति का प्रकार

प्रतिफल : 11111
सम्पत्ति की विशिष्ट संख्या : विधुत् संयोजन संख्या
जल संयोजन संख्या :

सम्पत्ति मूल्यांकन विवरण

कुल देय स्टाम्प शुल्क : 50/- वास्तविक बाजारी मूल्य : 1/-
कुल देय निबन्धन शुल्क : 200/- वास्तविक स्टाम्प शुल्क : 750/-

सम्पत्ति की चौहद्दी

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खसरा संख्या प्लॉट संख्या / भवन संख्या / दुकान संख्या संलग्न नक्शा

समस्त संपत्तियों से प्राप्त शुल्क का विवरण

बाजारी मूल्य : 0/- वास्तविक बाजारी मूल्य : 0/-
कुल देय स्टाम्प शुल्क : 50/- वास्तविक स्टाम्प शुल्क : 750/-
कुल देय निबन्धन शुल्क : 200/-

अन्य विवरण

प्रपत्र में कुल प्रश्नों की संख्या (दोनों तरफ) : 42 प्रतिलिपिकरण शुल्क-रु० : 120



विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

आवेदन संख्या	202300950014201	आवेदन दिनांक	21-04-2023
संलग्नता की प्रकृति	बही संख्या -(4)	लेखपत्र का प्रकार	न्यास पत्र

पक्षकार का विवरण								
क्रम सं	पक्षकार प्रकार	नाम	पिता / माता / पति / अन्य का नाम	स्थायी पता	व्यवसाय	प्रस्तुतकर्ता	आधार संख्या/पैन संख्या/मोबाइल नं०	संलग्न
1	न्यासी	श्री विजय सिंह	पुत्र श्री स्व० अलगू सिंह	रतनपुर, पोस्ट पतरा बाजार, सदर, गोरखपुर	अन्य	स्वयं	N/A	
							9936730244	
2	गवाह-प्रथम	श्री मोहन शर्मा	पुत्र श्री रामपती शर्मा	रतनपुर, पोस्ट पतरा बाजार, सदर, गोरखपुर	अन्य		N/A	
							1000000000	
3	गवाह-द्वितीय	श्री कृष्ण चौधरी	पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी	कैथवलिया, पोस्ट उनौला, सदर गोरखपुर	अन्य		N/A	
							1000000000	

नोट:- उप निबंधक कार्यालय :- सदर प्रथम में आवेदक द्वारा दिनांक 21-04-2023 को "लेखपत्र पंजीकरण हेतु अपॉइंटमेंट" दिनांक:- 21-04-2023, Counter 3, समय :- 03.20 PM - 03.30 PM का चयन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कृपया दिनांक 21-04-2023, Counter 3, समय :- 03.20 PM - 03.30 PM पर सदर प्रथम उप निबंधक कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।



विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Signature

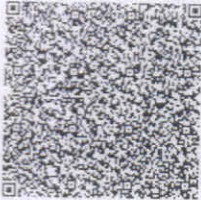
Acc Name - Bhagwan Das Acc Code - UP 141507

Add - Saria, Gorakhpur Mob. No. - 99388691

Licence no. - 29 Tehsil & District - Gorakhpur

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP90506495475937V
 Certificate Issued Date : 21-Apr-2023 11:26 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14150204/ SAHJANWA/ UP-GRK
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1415020475403926482491V
 Purchased by : VIJAY SINGH S O LATE ALGOO SINGH
 Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : VIJAY SINGH S O LATE ALGOO SINGH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : VIJAY SINGH S O LATE ALGOO SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 750
 (Seven Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line



विजय सिंह



विजय सिंह
 Manager
 S S Public School
 Ratanpur Saria Road
 Pipraich, Gorakhpur

JD 0040517605

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.stampindia.com or using the Stamp Mobile App of State Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The risk of checking the legitimacy is on the users of the certificate.



मो. रं. 9936730244, 9621925262, 8853673432
न्यास पत्र

हम विजय सिंह पुत्र स्व० अलगू सिंह ग्राम रतनपुर पो० पतरा बाजार जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ हम मुकिर समाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हम मुकिर के मन मस्तिक में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है तथा हम मुकिर एक न्यास गठित करना चाहते हैं तथा हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, शिक्षा व आवास का व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्परा भाई-चारा साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं सामज की शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S.S. Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

पांति, छुआ-छूत, धर्म सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावना कही से भी बाधक न हो। जनहित में उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उसमें लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किया जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक जानकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक न्यास ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 111111/(ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रु०) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं। जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी। यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम 'श्री प्राणनाथ एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट' होगा जिसे न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

- 1- यह कि मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम-रतनपुर पो० पतरा जिला -गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्य की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उसके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
- 2- यह कि मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक के मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा। भविष्य में हम मुक़िरद्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुक़िर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल / ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुक़िर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है-

- 1- विजय सिंह पुत्र स्व० अलगू सिंह ग्राम रतनपुर पो० पतरा बाजार जिला गोरखपुर
 - 2- मीना देवी पत्नी विजय सिंह ग्राम- रतनपुर पो० पतरा बाजार जिला गोरखपुर
- यह कि हम मुक़िर द्वारा "श्री प्राणनाथ एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट " के नाम जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है- समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना है।

2-शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना।

3-नव-युवक, नव-युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

4-वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालजी के माध्यम से उपलब्ध करना।



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

(5)

5-समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिकता तालमेल, राष्ट्र-भक्ति राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्राकृतिक प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6-लिंग-भेद, जाति-पांति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, उच्च-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण जागरूकता / सर्वे लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।*

7. शिक्षा प्रचार-प्रसार उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/ तकनीकी गैरतकनीकी शिक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

8- समाज / स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड केयर, नर्सरी, प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान का आवास का निर्माण करना।

9 शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगीपरीक्षाओं जैसे मेडिकल इन्जीनियरिंग, पालीटेक्निक बैंक, पी०सी०एस० आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सुन्दरों की व्यवस्था तथा उसमें होने वाली आय सेट्रस्ट का पोषण करना।

10-ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।



विजय सिंह
विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

11-अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना ।

12. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाईकढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग प्रिन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, फीटर वायरमैन, डीजल मैकेनिक एवं मोटर मैकेनिक रडियो एवं टीवी ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैंड कम्प्यूटर फाइनआर्ट, संगीत, ब्यूटीशियन कोर्स इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग / बेकरी एवं मशरूप उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उसके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान सुविधाओं को उपलब्ध करना ।

13- खाद्य प्रसंस्करण जैसे-जैम, जैली मुरब्बा, अचार केचप तथा अन्य फल संरक्षा का प्रशिक्षण देना।

14-युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के न्यू उपयोगी प्रशिक्षण जैसे— हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागीयों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

15-समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूगे, बहरे, अन्धों, अंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग / गरीब बच्चों निराश्रित अनाथबच्चों एवं युवाओं को विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

7

16. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजक पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
- 17-महिला संरक्षक गृह / विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा जिन्हे सरकारी सहायता दिलाना।
- 18-सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र बाराज घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय खेल का मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेट, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना ।
- 19- सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राइवेट व खाली जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (प्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधे या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षता की दृष्टिकोण से विलुप्त पाचों का रोपण करना। सुरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।
- 20-खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियम का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित सम्स्त जनहितयोजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्राकर के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुंचाना।
- 21-राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगो में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना ।



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

(8)

22-ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर देन लेन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि

23- विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे-यूनीसेफ, आई०सी०डी०एस० नेहरू युवा केन्द्र समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

24-घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना देने तथा युवओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारीयों की जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित / जागरूक / प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना ।

25- बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान-मसाला, गाजा भांग, स्मैक, एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारीयों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना ।

26-समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्ध-विश्वास, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, बाल-पोषण, बाल-श्रम महिला- शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना स्वैच्छिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Saria Road
Pipraich, Gorakhpur

(८९)

27-महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण / यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद-फरोख्त, परिवारिक हिंसा महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़नमुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

28-सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना। विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद, अथवा समारोह जैसे शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदीन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोक-थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

29-विभिन्न प्रकार के खेल जैसे- योगा, जिम्नास्टिक, जूडो कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

30-विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेजजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को

क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता / प्रशिक्षण / कैम्प सहायता एवं हैंड पाइप की व्यवस्था करना।

31-परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता / प्रशिक्षण दवा / किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

32-एड्स, कैंसर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता उपचार एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन-सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज, व अन्य चिकित्सीय / पैरामेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

33-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारीयों, झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों का आवास भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

34-सरकारी कार्यक्रमों जैसे टूटा एवं सूड़ा को संचालित करना।

35-सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़कनिर्माण, खडन्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भोजन निर्माण की व्यवस्था करना।
सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाउन गरीबी हे नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।

36-कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित / जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य दिलाना। तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों के द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

(11)

37-वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योग को बढ़ाना देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरकसे होने वाले हानि से लोगो का अवगत कराना।

38-बन्जर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनओं को लागू करना।

39-जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी / नियंत्रण तथा उनसे होने वाले बीमारियोंके बारे युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगरकदम उठाना।

40-प्राकृतिक आपदा जैसे- हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, चक्रवात भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है ऐसी "दशा में लोगों का बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग / जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिए लोगो / संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

41-लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेष कर कुत्ता एवं गावों की देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना / पशुपालन तथा गौशाला का व्यवस्था करना । प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

42- तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क / ट्रेन / बस दुर्घटना, जखमी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स / चैन की व्यवस्था करना।

43-उन समस्त योजनाओं के क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन०जी०ओ० के माध्यम से चलाया जा रहा है।

44-पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्ध करना ताकमहिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

45. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय कराना।

46. किसी एन०जी०ओ० द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

47-सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामाग्री, डक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़ नाटक, किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

48-किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन०जी०ओ० एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया-कलापो में सहयोग देना जिनके उद्देश्यो इस ट्रस्ट से मिलते हो।

49-सरकारी तथा गैर सरकारी लोगो/संस्थाओं/तन्त्रो / कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन ग्रान्ट, गिफ्ट चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

50. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देन या आर्थिक सहायता पहुंचाना।

51 ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापो को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशो में स्थापित करना या फैलाना।

52-सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

53-ट्रस्ट मंडल के अधिकार एवम कर्तव्य:-

- 1- समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना ।
- 2- उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा इसकी विभिन्न इकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठनकरना।
- 3- ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुचारु रूप से संचालन कि लिए समितिपंजिकरणअधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उनी नियम को बनाना।



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Balanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

(14)

4-ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानोंको लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु उनकी प्रबन्धइकाईया गठित करना

5-ट्रस्ट के अधीन चलने वाले संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

6-ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7-ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थित उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8-ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों चिकित्सालयोशोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों कीनियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहारनियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना

9-ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों से दान उपहार, अनुदान, ऋण एवंअन्य श्रोतो से धन व सम्पत्ति को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10- ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति कि लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

11 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों / इन्स्टीच्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुये प्रशासन योजना तैयार कर समक्ष प्राधिकारी / कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12-ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक / तकनीकी गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी / परिनियमावलीद्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यकता कार्य करना।

13-ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यकता विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80 जी एवं 80 जीजी के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

6-ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालित निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-

- 1-ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकेश विजय सिंह होंगे।
- 2-ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपनी जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो मुख्य ट्रस्टी के कृष्णा सिंह मुख्य ट्रस्टी होंगे।
- 3-मुख्य ट्रस्टी के अनुपस्थिति, बीमार या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Saria Road
Pipraich, Gorakhpur

उनकेद्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। 4-ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति कि जासकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारीयों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारीयो के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति कि आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारीयो का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन उत्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

5-ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थानरिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्त की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट केहितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

6-ट्रस्टी मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितो के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट के पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये प्रावधनों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्ट उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नही कियाजाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7-ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालया के प्राचार्य एवं शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिएनियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदन कराये गये प्रशासन



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Batanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

योजना उन्हेंनियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
8-ट्रस्ट मण्डल को कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

9-ट्रस्ट कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किए गये खर्चों उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों के स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यास के पास सुरक्षित रहेगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1-ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं / समितियों के प्रबन्धक / सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों का 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थिति व बैठक भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थिति हो सकता है।

2-वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

मुख्य ट्रस्टी / प्रधान प्रबन्धन के अधिकार एवं कर्तव्य:

1-इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

करना ।

2-ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना ।

3-ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना / कराना ।

4-ट्रस्ट की बैठक को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना

5-ट्रस्ट की चलन व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाबकिताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।

6-ट्रस्ट की ओर ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों का हस्ताक्षरित करना ।

7-ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक की जाने वाली कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8-इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों का करना।

9-ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना

10-ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षण से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेख परीक्षण करना।

11-ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना

8-ट्रस्ट की कोष व्यवस्था:-ट्रस्ट के कोष को सुचारू रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीकृत / मान्यता अधिसूचना बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार की धनराशियों



विजय सिंह

विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

एवं ऋण राशिया जमा होगी. ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9-ट्रस्ट के अभिलेख:- ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने / कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10-ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था:- ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:-

1-यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैज्ञानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।

2-यह कि मुख्य ट्रस्टी की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

3-यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकारी ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

समितियों के अधिकारियों व कर्मचारीयो विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी जायेगी
की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

4-ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसे सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट मेंनिहित रहेगी।

5-ट्रस्ट के आय-व्यय व लेखा परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्तिकी जा सकेगी।

6-ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैज्ञानिक का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्यट्रस्टी केअनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

7-ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्तितथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति याव्यक्तियोंको इस नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारीयों की भी नियुक्ति करेगा।

8-ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितो के लिए आवश्यकहो तथा ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो ।

9-ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी



विजय सिंह

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sarya Road
Pipraich, Gorakhpur

21

उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।

इस न्यास पत्र के माध्यम से किसी भी संपत्ति का व्यवस्थापन अथवा अंतरण नहीं किया जा रहा है।

घोषणा

श्री प्राणनाथएजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से हम श्री विजय सिंह पुत्र स्व० अलगू सिंह ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि यह ट्रस्ट पत्र लिखवाकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित के बिना किसी बाहरी दबाव के सोचसमझकर निबन्धन - हेतु प्रस्तुत किया। जिससे कि ट्रस्ट का विधिवत् गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण:

गवाह- मोहन शर्मा पुत्र रामपती शर्मा निवासी- रतनपुर, पोस्ट पतरा बाजार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।

मोहन शर्मा

गवाह- कृष्णा चौधरी पुत्र सुरेन्द्र चौधरी निवासी-कैथवलिया पोस्ट उनौला, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।

Krishna Chauhan



विजय सिंह

हस्ताक्षर लेखक

ओम प्रकाश सिंह
ओम प्रकाश सिंह
एडवोकेट

कलेक्ट्री, कचहरी, गोरखपुर

दिनांक 21/04/2023

विजय सिंह

Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur

आवेदन सं०: 202300950014201

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 326 के पृष्ठ 131 से 172 तक क्रमांक 99 पर दिनांक
21/04/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र प्रसाद

उप निबंधक : सदर प्रथम

गोरखपुर

21/04/2023

प्रिंट मार



विजय सिंह
Manager
S S Public School
Ratanpur Sariya Road
Pipraich, Gorakhpur